THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) During the last three years, the Central Government have accorded approval of diversion of forest lands in 39 proposals.

(b) As per stipulated conditions, compensatory afforestaton is required to be done over 5982.45 hecaters in respect of these approved projects. No compensatory afforestation has been done by the State Government in respect of these projects till 1990 rains Compensatory afforestation has been done over 2059 hecatres during 1991 rains in respect of proposals approved under the Forest (Conservation) Act, 1980 since 25.10.1980. Project-wise details of the same have not been received from the State Government.

(c) The recorded forest area in Orissa is 59,555 sq. kms.

राजस्थान में सरिस्का आरक्षित वन

2823. श्री शारदा महन्ती :

श्री सोमपाल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान में सरिस्का आरक्षित वन लगभग 800 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में फैला हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसमें केवल एक दर्जन के लगभग बाघ रहते हैं और हाल ही के वर्षों में बाघों की संख्या में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : जी, हां ।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र से गुजरने वाली नई सड़कों का निर्माण

2824. **श्री बेकल "उत्साही"** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों से गुजरने वाली नई सड़कों के निर्माण कार्य में वन विभाग द्वारा भूमि का हस्तांतरण नहीं होने से बाधायें आ रहीं हैं ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार वन विभाग को इस बात की अनुमति देने का विचार रखती है कि वह स्वीकृति प्राप्त सभी सड़कों के लिये अपेक्षित भूमि राज्य सरकार के स्तर पर ही मध्य प्रदेश सरकार को स्थानांतरित करें ताकि राज्य में सड़कों के निर्माण से संबंधित कार्य को गति प्रदान की जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस समस्या के समाधान के लिये कोई नीति तैयार की जा रही है यदि नहीं तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सड़कों के निर्माण के लिये वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि को प्रयोग में लाने के संबंध में केवल दो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं ।

(ख) और (ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि के वनेतर प्रयोजकों के लिये इस्तेमाल के लिये केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है, जिसके लिए राज्य सरकार को निर्धारित प्रोफार्मा में औपचारिक प्रस्ताव भेजने होते हैं। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राज्य सरकार से सभी संबंधित अनिवार्य ब्यौरे प्राप्त हो जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत शीघ्र निर्णय लिया जाता है।

वन्य जीवन और पारिस्थितिकी संवर्द्धन हेतु भारत-अमरीकी सहयोग

2825. **श्री बेकन "उत्साही"** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका वन्य जीवन एवं पारिस्थितिकी के संबंध हेतु सहयोग करने पर सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ अन्य देशों ने भी इस संबंध में अपना सहयोग देने के लिए सहमति व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हा, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-अमरीकी उप-आयोग के पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर कार्य दल की 22-23 अक्तूबर, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में दोनों देशों के बीच भावी सहयोग के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्रों में संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा पर्यावरणीय सूचना का आदान-प्रदान, प्रदूषण निवारण और स्वच्छ प्रौद्योगिकियां आते हैं।

(ग) और (घ) हालांकि अनेक देशों के साथ सहयोग कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में जिन देशों के साथ सहयोगात्मक परियोजनाएं चल रही हैं वे नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, डेनमार्क, कनाडा और आस्ट्रेलिया हैं।

वन क्षेत्रों में गांव

2826. **कुमारी आलिया** : क्या **वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन क्षेत्रों में बसे गांवों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या तथा इन गांवों में रह रहे आदिवासी परिवारों की जनसंख्या कितनी है;

(ख) आदिवासी परिवारों के कब्जे मे जो भूमि है उसका दर्जा क्या है;

(ग) विकास परियोजनाओं/लाभों को इन क्षेत्रों में बसे गांवों में रहने वाले आदिवासि तक पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) कब्जे की भूमि का पट्टा आदिवासियों को देने के विषय में शासन की क्या नीति है और क्या आदिवासियों को भूमि के अन्तरण के लिए इसी मापदण्ड को अपनाया जा रहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से वन गांवों की संख्या और उनमें रहने वाले अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या